मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ताआर ए एस
राजस्व वाद संख्या :–280 / 2024

1. कुलवीरसिह पुत्र बलकरणसिह जाति जटसिख निवासी मरानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. रघुवीरसिह पुत्र बलकरणसिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. परमजीत कौर पत्नी बलकरणसिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. कर्मजीत कौर पत्नी रघुवीरसिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादीगण

बनाम

1. बलकरणसिह पुत्र करनैलसिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मनजिन्द्र कौर पत्नी जसवन्तसिह पुत्री बलकरणसिह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

– – प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.घोषणा, खाता विभाजन

डिक्री दिनांक :– 06.09.2024

वादीगण की ओर से श्री महेश गौड़ अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुनील कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.09.2024 को स्वाति गुप्ताआर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क). वादी संख्या 1 कुलवीरसिह को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 15 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 183 / 282(48) किला नम्बर 6 / 1 / 0.228, 6 / 2 / 0.025 हैक्टर गैरमुमकिन खाला, 7, 12, 13, 18 / 0.1265 हैक्टर पूर्वी दिशा कुल 1.1385 हैक्टर

(ख). वादी संख्या 2 रघुवीरसिह को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 15 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 183 / 282(48) किला नम्बर 18 / 0.1265 हैक्टर पश्चिमी दिशा, 19, 22, 23 पत्थर नम्बर 194 / 282(47) किला नम्बर 10 / 0.253 हैक्टर।

(ग). वादीया संख्या 3 परमजीत कौर को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 15 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 183/282(48) किला नम्बर 14/0.253, 15/1/0.228, 15/2/0.025 हैक्टर गैरमुमकिन खाला, 16/1/0.228, 16/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, 17/0.253 कुल 1.012 हैक्टर।

(घ). वादीया संख्या 4 कर्मजीत कौर को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 15 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 184/282(47) किला नम्बर 11, 12, 19, 20 कुल 1.012 हैक्टर।

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार वादीगण की आराजी का खाता तकसीम कर मुताबिक तकसीम रकम राज अलग से कायम करने तथा चक नम्बर 15 जी.जी.आर. के खाता संख्या 53/46 में से प्रतिवादी संख्या 1 बलकरण सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रुपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---	योग	---
योग	---		